(वाद सं0.-5014/18)

02.07.2020

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी मो0 मेराज, थाना–कौवाकोल, जिला–नवादा द्वारा भा0द0वि0 की धाराओं 147/149/341/324/307/447/504/ के अंतर्गत संस्थित कौआकोल थाना कांड सं0 145/16, दिनांक–02.12.2016 से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, नवादा से प्रतिवेदन की मांग की गई । पुलिस अधीक्षक, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अन्वेषणोपरान्त सातों प्राथमिकी अभियुक्तों की संलिप्तता को सत्य पाकर दो प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–244/18,दिनांक–30.10.2018 समर्पित किया गया है तथा शेष पांच सत्य पाये गये अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति मे आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेष या निर्देष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पुलिस अधीक्षक, नवादा के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर इस निर्देश के साथ संचिकास्त किया जाता है कि यथाशीध्र प्रसंगाधीन मामले में शेष सत्य पाये गये पांचों अभियुक्तों के विरूद्ध उनके उपस्थिति/गिरफ्तारी/कुर्की जप्ती की कार्यवाई कर अन्वेषणोपरान्त आरोप पत्र समर्पित कर दिया जाय।

तद्नुसार पुलिस अधीक्षक, नवादा से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी तथा पुलिस अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>